	मु .नं. 63/2024 बाबूसिंह बनाम उगम कवंर वगैरह
20.11.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप.। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5,8 ता 10, 12 ता 30 को बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कारोला पटवार हल्का कारोला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 कुल रकबा 4.44 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/32 व प्रार्थी सं. 2 का 3/16 हिस्सा आया हुआ है। खसरा नम्बर 2632 रकबा 3.9304 हैक्टयर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/64 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या2 का 3/32 हिस्सा आया हुआ है। इस प्रकार ग्राम रूड़ा का गोलिया के खसरा नम्बर 997, 998 कुल रकवा 1.33 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 3/32 हिस्सा आया हुआ है। खसरा नम्बर 949, 950 कुल रकबा 1.91 हैक्टयर प्रार्थी संख्या 1 का 1/32 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 क 3/16 हिस्सा आया हुआ है। व खसरा नम्बर क्रमशः 951, 952, 953, 954, 955 कुल रकबा 2.52 हैक्टयर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 7/24 हिस्सा आया हुआ है। खसरा नम्बर 995 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/32 व प्रार्थी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा आया हुआ है। उक्त आराजी का लगान प्रार्थीगण माफिक हिस्से अनुसार नियमानुसार अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर भू-विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि संयुक्त रूप से इन्द्राज है जो संलग्न जमाबंदी से सावित है। अप्रार्थी संख्या 4,5,10,11,24(1),24(2,) जो कि आदतन शराबी प्रवृति के व्यक्ति है। जो शराब पीने के लिए नाजायज आवश्यकता की पूर्ति के लिए वादग्रस्त भूमि का विधिवत भू-विभाजन कराये बिना, बिना सहमति से आराजी का विशेष व उपजाउ भूमि का बैचान नामा अजनबी व्यक्ति को करवाना चाहते है। जिससे ऐसा करने का इन्हे कोई कानूनी हक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें प्रत्येक कण-कण में प्रार्थीगण का हक हिस्सा मौजूद है। वादग्रस्त आराजी को अवैध व गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी संख्या 4,5,10,11,24(1),24(2,) किसी अजनबी व्यक्ति व बदमाश व्यक्ति को बैचान,रहन,तर्क व दुर्व्यन करने अवैध निर्माण करने प्रार्थीगण को नुकशान पहुचाने व अन्य तरीके से संक्रात किया जाकर बल पूर्वक हिससे से अधिक प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग करने में भारी दुविधा होगी, ऐसी ऐलानिया धमकियां प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण दे चुके है। ऐसा कृत्य में सफल अप्रार्थीगण का अवैध व मनमाना है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त अवैधानिक कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को तरह-तरह की मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने सामित्व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि से वंचित हो जाएगा जिससे अपूरणीय क्षति होगी [illegible] संभव नही है। इस प्रकार तीनों आधारभूमि बिन्दू प्रथ[illegible] मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्र[illegible] अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] फरमावे। वकील अप्रार्थी संख्या 3,6,7,11 ने अपनी तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का प्र[illegible]ा पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व

सहायक कलेक्टर, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 24 की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला ,सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा क्रमशः 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 कुल रकबा 4.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2632 रकबा 3.9304 हैक्टयर, भूमि और इस प्रकार ग्राम रूड़ा का गोलिया के खसरा नम्बर 997, 998 कुल रकबा 1.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 949, 950 कुल रकबा 1.91 हैक्टयर , खसरा नम्बर क्रमशः 951, 952, 953, 954, 955 कुल रकबा 2.52 हैक्टयर व खसरा नम्बर 995 रकबा 0.01 हैक्टयरभूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner